पत्रांक: 03/न०प्र०नि०/PMAY(U), V-III-AHP/Guidelines/162/2018........4470

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

नगरीय प्रशासन निदेशालय

दूरभाष: 0651-2401955, 2401182 (फैक्स)/ ई-मेल: director.ma.goj@gmail.com

प्रेषक,

आशीष सिंहमार, भा० प्र० से०,

निदेशक, नगरीय प्रशासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी

सभी नगर निकाय।

राँची, दिनांक: 03.11.18

विषय: **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम एवं तृतीय घटक अन्तर्गत लाभुकों के आवास निर्माण हेतु मार्गदर्शिका के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एक महत्वाकांक्षी आवासीय योजना है। योजनान्तर्गत कमजोर आय वर्ग श्रेणी के आवास विहीन शहरी गरीबों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है। योजना के प्रथम घटक "निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम का पुनर्वास" एवं तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास निर्माण" अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। इसका अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

3/11/18

निदेशक

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक– "भागीदारी में किफायती आवास निर्माण"(AHP) अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राज्य एवं भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। योजना के तृतीय घटक– "भागीदारी में किफायती आवास निर्माण"(AHP) अंतर्गत आवासों का निर्माण किया जाना हैं।

सभी नगर निक ायों के लिए Housing for All Plan of Action (HFAPoA) तैयार किया गया है, जिसमें संबंधित निकायों के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है। HFAPoA अंतर्गत निकायवार कुल आवास एवं माँग के आधार पर किये गए AHP हेतु सर्वे की विवरणी, लाभार्थियों की सूची संकलित है। सर्वे से प्राप्त अधिकांश आँकड़े, PMAY MIS Portal में भी प्रविष्ट किये जा चुके है। जिन निकायों में घटक-III (AHP) के आवेदन एवं सूची उपलब्ध नहीं हो, संबंधित Consultants से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

निकायों में लाभुक सहमति पत्र भरवाने की प्रक्रिया निम्न रूप से की जायेंगी :–

1. आवेदन कौन कर सकता है ?

लाभार्थी की पात्रता शर्ते विभागीय संकल्प सं0 171 दिनांक 05.02.2016 के अनुरूप होंगी। लाभार्थी द्वारा निम्नांकित अनिवार्य शर्तों का अनुपालन किया जाएगा :–

1.1. लाभुक की पात्रता के लिए कट–ऑफ–डेट (Cut-of-date) मिशन के शुभारम्भ की तिथि अर्थात दिनांक– 17.06.2015 है।

1.2. लाभार्थी को स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त कट–ऑफ–डेट के पूर्व उस शहरी क्षेत्र/स्लम का निवासी होना अनिवार्य है।

1.3. लाभार्थी का Voter ID Card होना अनिवार्य है।

1.4. लाभार्थी के द्वारा उसके पैतृक जिले के राजस्व पदाधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य है।

1.5. लाभुक का आधार कार्ड बैंक एवं एकाउंट संख्या होना अनिवार्य है।

1.6. लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से केवल एक ही घटक का लाभ ले सकते हैं।

1.7. पूर्व में संचालित केन्द्रीय प्रायोजित आवासीय योजनाओं के लाभुक इस मिशन अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

2. आवेदन पत्र के साथ क्या–क्या आवश्यक दस्तावेज जमा करना है ?

आवेदन हेतु निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य होंगे :–

2.1. लाभार्थी का पहचान पत्र एवं संयुक्त धारक का पहचान पत्र (स्व सत्यापित छायाप्रति)

2.2. लाभार्थी का पासपोर्ट साईज फोटो (3 प्रति)

2.3. लाभार्थी का बैंक एकाउंट संख्या एवं पासबुक (स्व सत्यापित छायाप्रति)

2.4. लाभार्थी के द्वारा उसके पैतृक जिले के राजस्व पदाधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाण–पत्र

2.5. लाभुक सहमति पत्र (स्व हस्ताक्षरित मूल प्रति) (Consent Form) (CF)

2.6. स्व घोषणा पत्र "स्व हस्ताक्षरित मूल प्रति" (प्रारूप संलग्न)

2.7. आधार कार्ड (स्व सत्यापित छायाप्रति) – श्रेयष्कर

2.8. लाभार्थी का चालू मोबाईल नं0 (आवास आवंटित होने तक सुगम संपर्क हेतु)– श्रेयष्कर

2.9. अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)

☞ **नोट : पहचान पत्र में ये दस्तावेज मान्य होंगे :– (पासपोर्ट/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/राजस्व प्रधिकार प्रमाण पत्र/ बैंक पासबुक/बी0पी0 एल कार्ड)**

3. आवेदन कैसे करें ?

3.1. <u>आवेदन निम्नांकित माध्यमों से किया जा सकता है :–</u>

विकल्प– I लाभार्थी द्वारा स्वयं शहरी एवं आवासन मंत्रालय के वेबसाइट www.pmaymis.gov.in के माध्यम से निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है (Annexure-I) ।

विकल्प– II लाभार्थी द्वारा Common Service Center (CSC) के माध्यम से आवेदन वेबसाईट के माध्यम से रूपये 25/–(वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त) शुल्क भुगतान के साथ किया जा सकता है।

3.2. लाभुक सहमति पत्र (C.F) विभागीय वेबसाईट <u>www.udhd.jharkhand.gov.in</u> से डॉउनलोड किया जा सकता है।

3.3. पूर्व में आवेदन करने वाले लाभुकों* को वेबसाईट पर पूर्व से भरे आवेदन में सूचनाएँ अद्यतन करने के उपरांत कंडिका 4.1 के अनुसार संबंधित निकाय में जमा करना होगा।

** पूर्व में Housing for All Plan of Action तैयार करने के समय लाभार्थियों के द्वारा आवेदन दिया गया था। उनमें से अधिकांश लाभार्थियों की ऑनलाईन प्रविष्टि भी की जा चुकी है, किन्तु उनसे उस वक्त सहमति पत्र नहीं प्राप्त किया गया था। साथ ही कई लाभार्थियों द्वारा दिये गये मोबाईल नं0, वर्त्तमान पता, अब वैध नहीं है, जिस कारण उनसे संपर्क नहीं साधा जा सकता है। अतः वैसे लाभार्थियों को वेबसाईट पर जाकर पूर्व से भरे आवेदन में सूचनाएँ अद्यतन करेंगे, यथा –मोबाईल सं0, वर्त्तमान पता इत्यादि।*

4. आवेदन कहाँ जमा करें ?

4.1. लाभार्थी कंडिका सं0–3.1 के अनुसार भरे हुए आवेदन फॉर्म (Format –B) जिसमें Application No. उल्लेखित होगा, का प्रिंट आउट दो प्रतियों में निकालते हुए, एवं 3.2 के अनुसार स्वहस्ताक्षरित भरा हुआ सहमति पत्र एवं संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को निकाय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

4.2. ***लाभार्थी फॉर्म जमा करने के उपरान्त प्राप्ति रसीद के तौर पर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।***

5. प्राप्त आवेदनों का दस्तावेजीकरण एवं संचिका संधारण

5.1. सभी नगर निकाय लाभार्थियों के द्वारा समर्पित आवेदन, लाभुक सहमति पत्र एवं संबंधित दस्तावेजों के Verification के उपरांत अलग–अलग लाभार्थीवार संचिका निकाय में संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।

5.2. सभी निकाय में प्राप्त पूर्ण आवेदनों को दस दिनों के अंदर, MIS Portal पर Accept करते हुए Survey ID को Generate करना सुनिश्चित करेंगे।

5.3. लाभार्थियों के पात्रता एवं दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित निकाय की होगी।

6. अन्य दायित्व

6.1. योजना के क्रियान्वयन के शुभारंभ संबंधी जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे। इसके लिए निकाय समाचार–पत्रों, होंर्डिग्स, माईकिंग्स, रेडियों चैनल्स इत्यादि के माध्यम से लाभार्थियों तक योजना संबधी संदेश पहुचायेंगे तथा सभी लाभार्थियों को नये आवेदन करने तथा सहमति पत्र भरने संबंधी Schedule/Venue/आवश्यक दस्तावेजों इत्यादि से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

6.2. सभी सत्यापित आवेदनों की सूची निकाय अपने संबंधित वेबसाईट में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

6.3. राज्य स्तर पर घटक-III (AHP) में लिए गए अन्य नीतिगत निर्णय के आलोक में एक आवास की लागत लगभग रू० 7.00 लाख से रू० 8.00 लाख संभावित है जिसमें से **लाभुक अंशदान रू० 4.50 लाख से रू० 5.50 लाख होगा। इस संदर्भ में लाभुकों को जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे।**

Pradhan Mantri Aawas Yojana (Urban)

Vertical-III: Affordable Housing in Partnership

Steps for New Application under Vertical-III (AHP)

1. Please go to website: https://pmaymis.gov.in/

2. Click on " Citizen Assessment" tab in the home page and Select " Benefits under other 3 Components" as shown below:

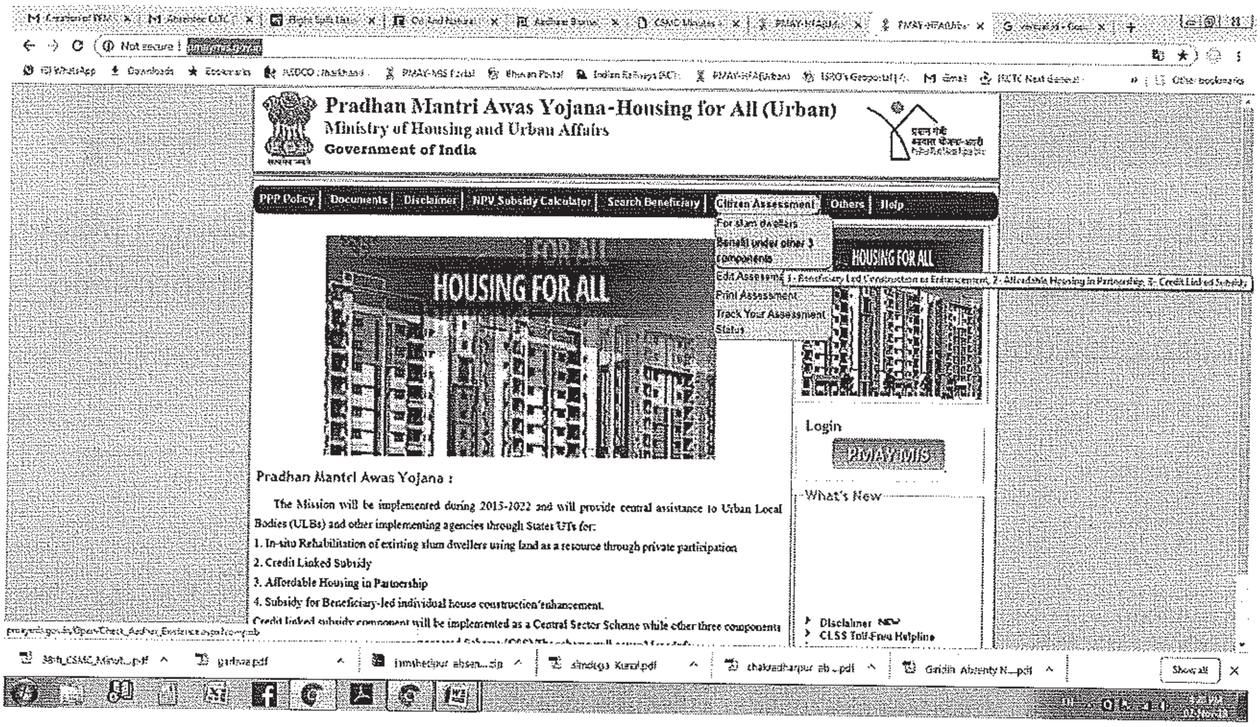

3. An Assessment form will appear asking the "Aadhar/Virtual ID" and "Name as per Aadhaar" as shown below.

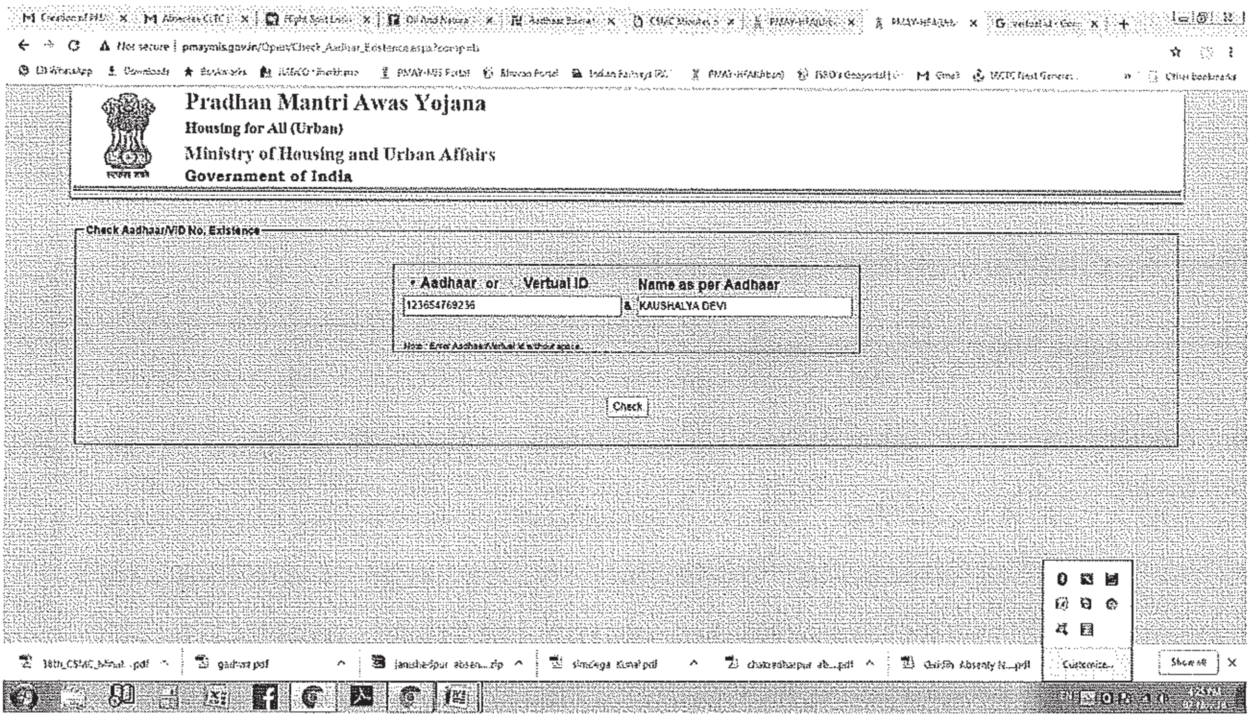

4. After filling the details “Assessment Form” will appear as shown below, which needs to be filled and submitted, along with consent form and necessary documents for further validation by ULBs.

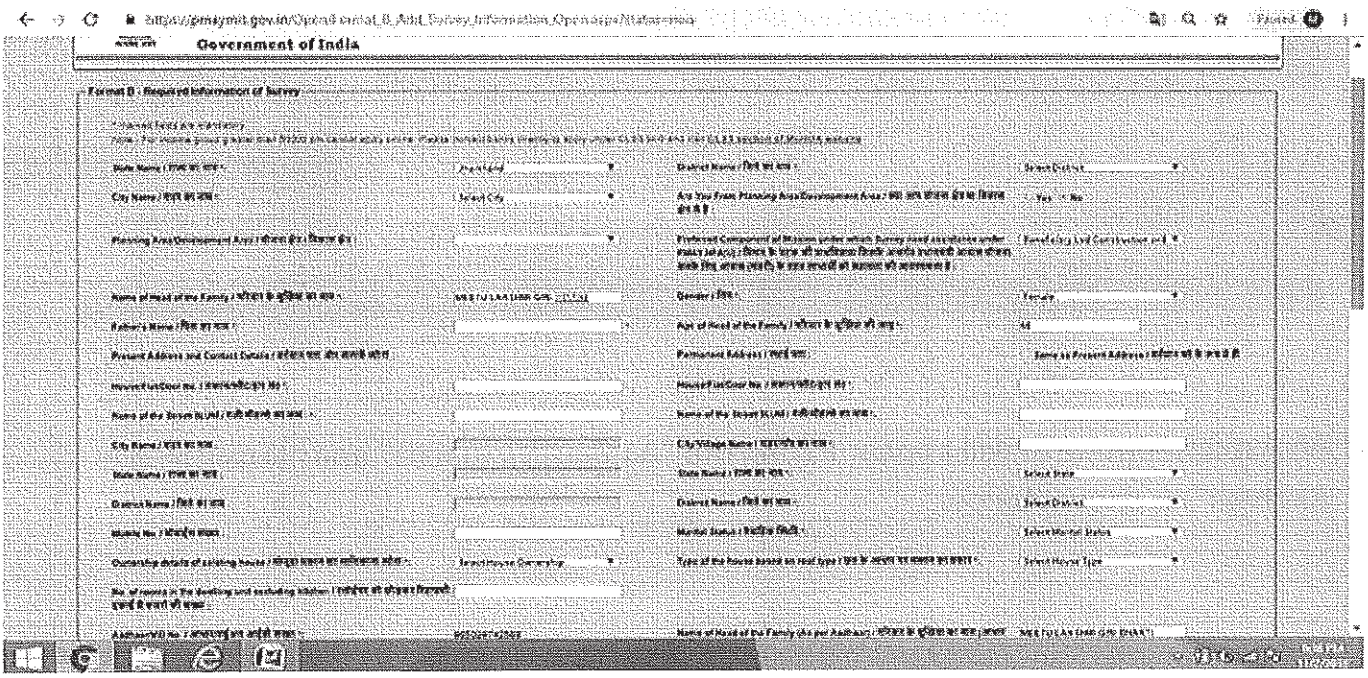

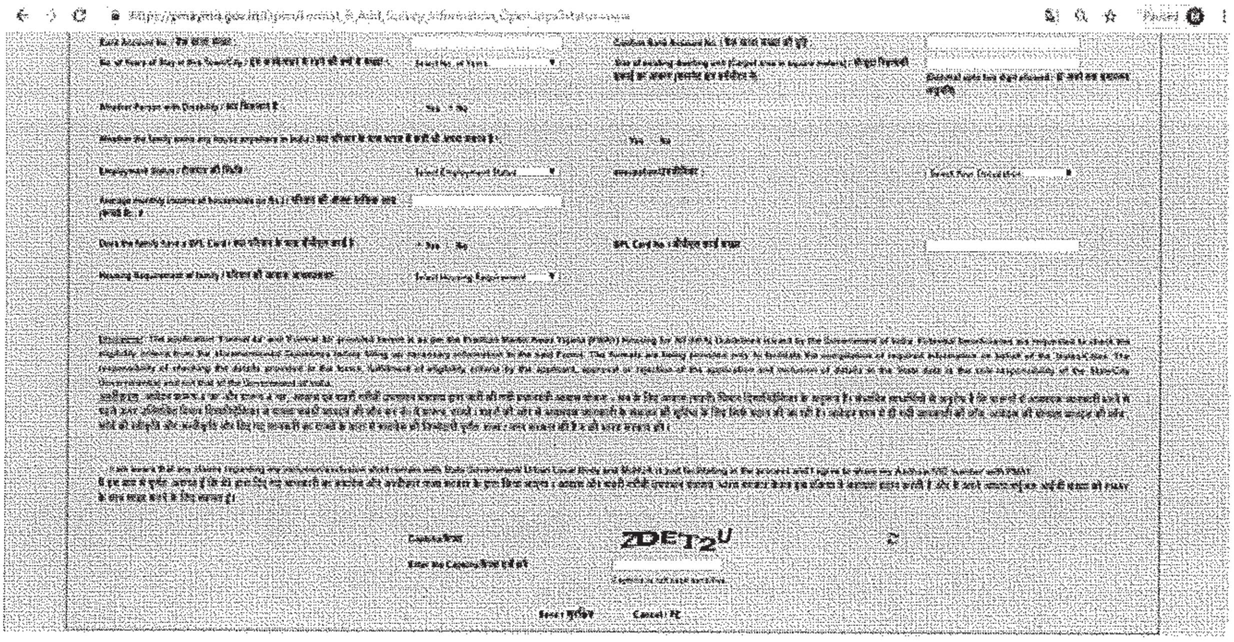

5. After successful submission of Assessment form, acknowledgment receipt will be generated by the system which is shown as below:

Pradhan Mantri Awas Yojana
Housing for All (Urban)
Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

Format B - Required Information of Survey

Assessment ID :			
State Name	Jharkhand	District Name	Ranchi
City Name	Ranchi		
Preferred Component of Mission under which Survey need assistance under HFA:		Affordable Housing in Partnership	
Name of Head of the Family	Shilpi Devi	Gender	Female
Father's Name	Manish Kumar	Age of Head of the Family	30
Present Address		Permanent Address	

स्व– घोषणा पत्र

मैं...(लाभुक का नाम), पिता..
पत्नी/पति.. धर्म......................कोटि.......................................
वर्त्तमान पता ....
मुहल्ला..वार्ड. सं0............निकाय...
पोस्ट... पिन सं0 .... थाना ....
जिला ....राज्य .... शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ जो मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है :–

1. यह है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ।
2. यह है कि मैं उपरोक्त पता का निवासी हूँ।
3. यह है कि मैं उक्त निकाय/शहर में से पिछले .... वर्षो से लगातार रह रहा/रही हूँ।
4. यह है कि मेरे नाम से अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम वाली रिहायशी इकाईया) नहीं है।
5. यह कि मेरे एवं मेरे परिवार के सभी सदस्यों के सभी स्रोतों से वार्षिक आय .... रू० है।
6. यह कि मै शपथ–पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए दे रहा/रही हूँ।
7. यह है कि मेरे द्वारा पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी/ग्रामीण का लाभ नहीं लिया गया है।

यह कि उपरोक्त तथ्य सही एवं सत्य है।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर/अगूठे का निशान

झारखण्ड सरकार

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

..........नगर निगम/ नगर परिषद् /नगर पंचायत

लाभुक सहमति पत्र

लाभुक सहमति पत्र सं०.............

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... (लाभुक का नाम) पिता/पति श्री .... (लाभुक के पिता/पति का नाम), मोहल्ला .... वार्ड संख्या:............ थाना:................ अंचल:......... .... नगर निकाय :...................... जिला:................. का निवासी हूँ। स्थानीय नगर निकाय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के **तृतीय घटक** अंतर्गत आवासविहिन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु निर्मित किए जाने वाले परियोजना के आवासों में से आवंटित किए जाने वाले आवास हेतु लाभुक के लिए मेरा चयन किया गया है। मैं आज दिनांक :......................... समय:........ .... (पूर्वाहन/अपराहन्) को इस सहमति पत्र के माध्यम से निम्नांकित वचन को सत्यापित करता/करती हूँ:–

1. मैं उक्त निकाय अंतर्गत अवस्थित .... मोहल्ला में रहता/रहती हूँ।
2. मैं उक्त निकाय/वार्ड में विगत .... वर्षो से वासित हूँ।
3. मैं कमजोर आय वर्ग का/की लाभुक हूँ। मेरा वार्षिक आय रू०.................. लाख हैं।
4. मेरा या मेरे परिवार का पूरे भारत वर्ष मे कहीं भी पक्का मकान नहीं है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक अंतर्गत आवास प्राप्त करने की सभी अहर्त्ता पूरी करता/करती हूँ।
5. मेरा लाभुक सं० :........................ है।
6. मैं आवास आवंटित किए जाने हेतु निकाय द्वारा वांछित सभी दस्तावेज निकाय को उपलब्ध करूँगा/करूँगी।
7. मैं स्वेच्छा से निकाय द्वारा लौटरी के माध्यम से आवंटित आवास में रहने को राजी हूँ।
8. मैं योजना अंतर्गत आवंटित आवास में आवंटन से एक माह या निकाय द्वारा आवंटित समय सीमा के अंदर नए आवंटित आवास में चला/चली जाऊंगा/जाऊंगी। निश्चित समय सीमा के अंदर यदि मेरे द्वारा उक्त आवंटित आवास ग्रहण नहीं किया जाता है तो हमें आवंटित आवास निकाय द्वारा रद्द कर दिया जा सकता है, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगा/होगी।
9. मैं योजना अंतर्गत आवंटित आवास को प्रथम 15 वर्षो तक न बेचूंगा/बेचूंगी, न किसी को लीज पर दूंगा/दूंगी और न ही किसी को किराए पर दूंगा/दूंगी।
10. यदि मुझे आवंटित आवास के बेचने/लीज पर देने/किराए पर देने/किसी अन्य को हस्तांतरित करने की सूचना निकाय को मिलती है तो वह इसकी जाँच कराते हुए सही पाए जाने पर हमारा आवंटन रद्द कर मेरे द्वारा जमा की गई लाभुक अंशदान को जब्त कर लेगी एवं भविष्य में मैं इस प्रकार के किसी योजनान्तर्गत आवास प्राप्त करने के योग्य नहीं रहूँगा/रहूँगी।

11. मुझे आवंटित आवास पर मेरे बाद मेरे विधिक उत्तराधिकारी का अधिकार होगा।
12. मैं योजना अंतर्गत आवास प्राप्त करने हेतु लाभुक अंशदान लगभग रू० 4.50 लाख से रू० 5.50 लाख के बीच जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा की नियमानुसार निकाय में जमा कर दूंगा/दूंगी। ससमय लाभुक अंशदान नहीं जमा करने के विरूद्ध हमारा आवंटन रद्द कर मेरे द्वारा जमा की गई लाभुक अंशदान को जब्त कर लेगी एवं भविष्य में मैं इस प्रकार के किसी योजनान्तर्गत आवास प्राप्त करने के योग्य नहीं रहूँगा/रहूँगी।
13. मेरे द्वारा यदि Bank से Loan लेने की स्थिति में Bank Loan को ससमय जमा न करने की स्थिति में भी आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
14. मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी गलत/छुपाया गया पाया जाता है तो निकाय द्वारा लाभुक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा।

मैंने उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों को पढ़/सुन एवं समझ लिया है और सभी तथ्यों से सहमत हो कर सहमति पत्र पर अपना हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान लगा रहा/रही हूँ।

लाभुक का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

लाभुक का नामः

झारखण्ड सरकार

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

..........नगर निगम/ नगर परिषद् /नगर पंचायत

लाभुक सहमति पत्र

लाभुक सहमति पत्र सं०.............

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... (लाभुक का नाम) पिता/पति श्री .... (लाभुक के पिता/पति का नाम), मोहल्ला/स्लम............ वार्ड संख्याः............ थानाः................ अंचलः....................... नगर निकाय :..................... जिलाः................ का निवासी हूँ। स्थानीय नगर निकाय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के **प्रथम घटक** अंतर्गत स्लम वासियों के पुनर्वास हेतु निर्मित किए जाने वाले परियोजना के आवासों में से आवंटित किए जाने वाले आवास हेतु लाभुक के लिए मेरा चयन किया गया है। मैं आज दिनांक :......................... समयः.............. (पूर्वाहन/अपराहन्) को इस सहमति पत्र के माध्यम से निम्नांकित वचन को सत्यापित करता/करती हूँः–

1. मैं उक्त निकाय अंतर्गत अवस्थित .... स्लम/मोहल्ला में रहता/रहती हूँ।
2. मैं उक्त निकाय/वार्ड में विगत .... वर्षो से वासित हूँ।
3. मैं कमजोर आय वर्ग का/की लाभुक हूँ। मेरा वार्षिक आय रू०.................. लाख हैं।
4. मेरा या मेरे परिवार का पूरे भारत वर्ष मे कहीं भी पक्का मकान नहीं है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम घटक अंतर्गत आवास प्राप्त करने की सभी अहर्त्ता पूरी करता/करती हूँ।
5. मेरा लाभुक सं० :........................ है।
6. मैं आवास आवंटित किए जाने हेतु निकाय द्वारा वांछित सभी दस्तावेज निकाय को उपलब्ध करूँगा/करूँगी।
7. मुझे वर्तमान में वासित स्लम से हट कर नए स्थान पर बनने वाले आवास में आवास प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं है।
8. मैं स्वेच्छा से निकाय द्वारा लौटरी के माध्यम से आवंटित आवास में रहने को राजी हूँ।
9. मैं योजना अंतर्गत आवंटित आवास में आवंटन से एक माह या निकाय द्वारा आवंटित समय सीमा के अंदर नए आवंटित आवास में चला/चली जाऊंगा/जाऊंगी। निश्चित समय सीमा के अंदर यदि मेरे द्वारा उक्त आवंटित आवास ग्रहण नहीं किया जाता है तो हमें आवंटित आवास निकाय द्वारा रद्द कर दिया जा सकता है, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगा/होगी।
10. मैं नए स्थान पर आवंटित आवास प्राप्त करने के पश्चात् तत्काल से वासित स्लम से हट जाऊंगा/जाऊंगी एवं उक्त स्लम भूमि पर हमारा किसी प्रकार का दावा या अधिकार नहीं रहेगा।
11. मैं योजना अंतर्गत आवंटित आवास को प्रथम 15 वर्षों तक न बेचूंगा/बेचूंगी, न किसी को लीज पर दूंगा/दूंगी और न ही किसी को किराए पर दूंगा/दूंगी।

12. यदि मुझे आवंटित आवास के बेचने/लीज पर देने/किराए पर देने/किसी अन्य को हस्तांतरित करने की सूचना निकाय को मिलती है तो वह इसकी जाँच कराते हुए सही पाए जाने पर हमारा आवंटन रद्द कर मेरे द्वारा जमा की गई लाभुक अंशदान को जब्त कर लेगी एवं भविष्य में मैं इस प्रकार के किसी योजनान्तर्गत आवास प्राप्त करने के योग्य नहीं रहूँगा/रहूँगी।

13. मुझे आवंटित आवास पर मेरे बाद मेरे वि धिक उत्तराधिकारी का अधिकार होगा।

14. मैं योजना अंतर्गत आवास प्राप्त करने हेतु लाभुक अंशदान रू० 1.50 लाख जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा की नियमानुसार निकाय में जमा कर दूंगा/दूंगी। ससमय लाभुक अंशदान नही जमा करने के विरूद्ध हमारा आवंटन रद्द कर मेरे द्वारा जमा की गई लाभुक अंशदान को जब्त कर लेगी एवं भविष्य में मैं इस प्रकार के किसी योजनान्तर्गत आवास प्राप्त करने के योग्य नहीं रहूँगा/रहूँगी।

15. मेरे द्वारा यदि Bank से Loan लेने की स्थिति में Bank Loan को ससमय जमा न करने की स्थिति में भी आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

16. मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी गलत/छुपाया गया पाया जाता है तो निकाय द्वारा लाभुक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा।

मैंने उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों को पढ़/सुन एवं समझ लिया है और सभी तथ्यों से सहमत हो कर सहमति पत्र पर अपना हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान लगा रहा/रही हूँ।

लाभुक का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

लाभुक का नामः